

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2176]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 16, 2013/भाद्र 25, 1935	
No. 2176]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 16, 2013/ BHADRA 25, 1935	

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2013

का.आ. 2792(अ).— केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1035 (अ), तारीख 7 मई, 2010 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि 4ए तथा सारणी के स्तंभ (2) एवं (3) में क्रमशः तद्नुक्प प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा, अर्थातः—

"4ए	गोवा राज्य में गोवा/कर्नाटक सीमा - पणजी	किमी 84.000 से किमी 153.070".

[फा. सं. एनएच-14013/2/2010-पी एंड एम]

माया प्रकाश. उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (ii) के का.आ. सं. 1035(अ), तारीख 7 मई, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे का.आ. सं. 1052 (अ), तारीख 11 मई, 2012 द्वारा प्न: संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2013

S.O. 2792(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1035(E), dated the 7th May, 2010, namely:—

In the said notification, the following entry 4A under the heading National Highway number and the corresponding entries thereto under columns (2) and (3) respectively shall be omitted:—

3999 GI/2013 (1)

"4A	From Goa/Karnataka Border-Panji in the State of	From km. 84.000 to km. 153.070".
	Goa	

[F. No. NH-14013/2/2010-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, in Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1035(E), dated the 7th May, 2010 and was further amended *vide* number S.O. 1052(E), dated 11th May, 2012.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2013

का.आ. 2793(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातः—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"6	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4ए, 17, 17ए और 17बी के उतने भाग जो गोवा गोवा राज्य सरकार ।"
	राज्य में अवस्थित हैं।

[फा.सं. एनएच-14013/2/2010-पी एंड एम]

माया प्रकाश, उप सचिव

पाद टिप्पण : मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उप-खंड (ii) के सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 2411 (अ), तारीख 7 अगस्त, 2013 दवारा संशोधित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2013

S.O. 2793(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to said notification, for serial number 6 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

Ī	"6	So much of National Highway No. 4A, 17, 17A and 17B as are situated within the	State Government of
		State of Goa.	Goa."

[F. No. NH-14013/2/2010-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, in Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 2411(E), dated the 7th August, 2013.